


Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders when necessary
14.12.17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ</p> <p>अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह अनु०। प्रकरण अमि० की उप० हेतु नियत है।</p> <p>प्रकरण में अभियुक्त की उप० हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट तामिल अथवा अदम तामील मय प्राप्त नहीं। प्रकरण में अभियुक्त अंतिम बार दिनांक 15.03.2017 को उपस्थित हुआ था, तत्पश्चात् उपस्थित नहीं हो रहा है। चार बार गिरफ्तारी वारंट भेजे जा चुके हैं, किन्तु तामील सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।</p> <p>प्रकरण 4 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त उपस्थिति से बचने के लिए फरार हो गया है। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।</p> <p>अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।</p> <p>अभियुक्त अभियुक्त <b>नरेन्द्र सिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जन निवासी ग्राम जमधारा थाना बौ जिला मिण्ड</b> को स्थायी गिरफ्तारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट-रजिस्टर में कर पावती ली जाये। थाने पर स्थाई वारंट को रोजनामचा सान्हा पर जमा करे तथा जमा किये जाने के रोजनामचा सान्हा की सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये।</p> <p>प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।</p> <p>प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।</p> <div style="text-align: right;">   <b>(A.K. Gupta)</b>                      Judicial Magistrate First Class                      Gohad distt.Bhind (M.P.)                 </div>	